

UPUN010054362022



न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट) / Addl. District Judge
Court No. 4, Unnao

पीठासीन अधिकारी- (Swapna Singh), (उ०प्र० न्यायिक सेवा)

- UP 6245

फौज० मुत० वाद सं०-814 / 22 (अन्तिम रिपोर्ट)

अशोक कुमार पाल बनाम चंदावती।

अ०सं०-814 / 20

धारा- 138(1)(बी) भारतीय वि० अधि०,

थाना-एण्टी पावर थेफ्ट, जिला- उन्नाव।

दिनांक-12.11.2022

आज पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुयी। पत्रावली का अवलोकन किया। दौरान विवेचना अभियुक्त द्वारा सम्पूर्ण बकाया विद्युत बिल विभाग में जमा कर दिये जाने एवं अपराध शमनीय होने के आधार पर विवेचक द्वारा अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। विद्युत विभाग की ओर से अधिकृत अधिकारी द्वारा आदेश पत्र पर पृष्ठांकित किया गया कि अभियुक्त द्वारा शमन व राजस्व शुल्क विद्युत विभाग में जमा किया जा चुका है अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(स्वप्ना सिंह)

विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट) / अपर
सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-4, उन्नाव।